राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1299/2017/जयपुर.

मैसर्स बी. सूरज ज्वैल्स,
105–प्रथम मंजिल, मुखिजा चैम्बरस्, एम.आई.रोड, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–द्वितीय, वृत–बी, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अरूण गंगवाल, सीए .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या प(4) उपा/प्रशा–III/कर/2011–12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 08.06.2017 के विरूद्ध पेश की गयी है।

2. अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अधिनियम की धारा 34 दिनांक 03.05.2017 को खारिज किया। व्यवहारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कर निर्धारण वर्ष 2013–14 आदेश दिनांक 08.07.2016 जो कि एकपक्षीय पारित किया गया था, को Re-open किये जाने हेतु निवेदन किया गया था, जिसको म्याद बाहर मानते हुए अपीलीय अधिकारी ने खारिज कर दिया।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उनका वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.07.2014 को एकपक्षीय पारित किया है, जो अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने भी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण को Re-open करने बाबत्, को बिना किसी विधिक कारण के अस्वीकार किया है, तथा उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए उनके द्वारा प्रकरण को Re-open किये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकारते हुए कर निर्धारण आदेश को गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी का आदेश अन्तर्गत धारा 34 को बहाल करने का निवेदन किया।

5. हस्तगत प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया

लगातार.....2

है, जिस पर पुनः सुनवाई किये जाने बाबत् व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत् अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थना पत्र म्याद में प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं व्यवहारी अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत कानूनी सहायता का पात्र नहीं रहता है। नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए व्यवसायी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है, अतः एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को अपास्त कर, कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह व्यवहारी के प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

6. उपरोक्तानुसार व्यवहारी की अपील स्वीकारते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है, एवं उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वे व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर पारित करें।

7. निर्णय सुनाया गया।

(भदनलाल मालवीय)
सदस्य